"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर 2014—कार्तिक 23, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 7-22/2014/एक/15.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04-10-2014 द्वारा श्री संजय शुक्ला, भा.व.से., आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर को दिनांक 27-10-2014 से 07-11-2014 तक कुल 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, जिसे उनके आवेदन दिनांक 20-10-2014 के अनुक्रम में उक्त अर्जित अवकाश को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 1-51/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती पारूल माथुर, (भापुसे-2008) पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा को दिनांक 22-09-2014 से 03-11-2014 (43 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20, 21 सितम्बर 2014 तथा 04 नवम्बर 2014 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती माथुर, आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा (छ.ग.) के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती माथुर को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पारूल माथुर (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

5. श्रीमती पारूल माथुर, (भापुसे-2008) पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा का चालू प्रभार श्री नरेन्द्र खरे, पुलिस सेनानी 7वीं वाहिनी छसबल, भिलाई को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक ई 7-09/2014/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से., महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, रायपुर को दिनांक 23-06-2014 से दिनांक 28-06-2014 तक (06 दिवस) अर्जित अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21, 22 एवं 29 जून, 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्रमांक 2198/3589/2014/1-8.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक बी-1-1/2013/एक/4 दिनांक 22-05-2013 द्वारा श्री के. डी. कुंजाम, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कुंजाम को सौंपे गये उक्त अतिरिक्त प्रभार से भारमुक्त करते हुए, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, श्री डी. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करता है.

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

क्रमांक 687/480/अव./2014/1-8/स्था.—श्री प्रभात लकड़ा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) को दिनांक 28-05-2014 से 12-06-2014 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13, 14, 15-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात लकड़ा आगामी आदेश तक वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रभात लकड़ा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभात लकड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक 693/206/अव./2003/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 27-10-2014 से 29-11-2014 तक 34 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 26-10-2014 तथा 30-11-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार आगामी आदेश तक अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अमृत लाल लिखार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमृत लाल लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक 696/475/अव./2010/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 555/475/अव./2010/1-8/स्था., दिनांक 08-08-2014 द्वारा श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का दिनांक 11-08-2014 से 14-08-2014 तक 04 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15-08-2014 से 27-08-2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 08-08-2014 के पैरा 2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

क्रमांक 698/808/अव./2011/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 15-09-2014 से 19-09-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13, 14, 20, 21-09-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. लेवे आगामी आदेश तक अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. सी. लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

क्रमांक 700/2518/अव./2009/1-8/स्था.—श्री के. डी. कुंजाम, उप सचिव, खनिज साधन विभाग को दिनांक 22-09-2014 से 27-09-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 20, 21-09-2014 तथा 28-09-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. डी. कुंजाम आगामी आदेश तक उप सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. डी. कुंजाम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. डी. कुंजाम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 9-21/2011/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री व्ही. के. छबलानी (अतिरिक्त महाप्रबंधक, दूरसंचार सेवा, 1989 बैच) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्रमांक 706/980/अव./2007/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, उप सचिव, गृह विभाग को दिनांक 05-11-2014 से 14-11-2014 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 04, 15, 16-11-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर आगामी आदेश तक उप सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री डी. के. माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 3-2/2014/16.—बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (क्रमांक 61 वर्ष 1986) की धारा-17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे उल्लेखित अनुसूची के विभिन्न विभागों के स्तम्भ 03 में वर्णित अधिकारियों को उन्हें आवंटित कार्य क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	विभाग का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	■ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ■ पंचायत निरीक्षक
	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	उप अभियंता
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	उप अभियंता
	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	उप अभियंता
2.	शिक्षा विभाग	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
3.	आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग	■ मण्डल संयोजक ■ उप अभियंता
4.	महिला एवं बाल विकास विभाग	■ परियोजना अधिकारी ■ पर्यवेक्षक
5.	राजस्व विभाग	राजस्व निरीक्षक
6.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	खाद्य निरीक्षक
7.	उद्योग विभाग	सहायक प्रबंधक
8.	खनिज विभाग	खनिज निरीक्षक
9.	कृषि विभाग	■ वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ■ सहायक कृषि विकास विस्तार अधिकारी
10.	सहकारिता विभाग	सहकारिता निरीक्षक
11.	वन विभाग	■ वन क्षेत्रपाल ■ उप वन क्षेत्रपाल
12.	लोक निर्माण विभाग	उप अभियंता
13.	जल संसाधन विभाग	उप अभियंता
14.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	उप अभियंता
15.	परिवहन विभाग	परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक
16.	मछली पालन विभाग	मत्स्य निरीक्षक

Raipur, the 28th October 2014

No. 10-9/2014/16.—In exercise of the powers conferred by section 112 read with section 87 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), the State Government, hereby amends the schedule 17 of rule 107 (rules prescribed under section 87 of the Factories Act, 1948) of C. G. Factories rule 1962, as mentioned below.

SCHEDULE-XVII

Manipulation of Stone or Any Other Material Containing Free Silica

The following Manufacturing Activity shall be considered as manipulation of Stone or other material

containing free Silica :

1. Stone Crushers
2. Gem and Jewellery
3. Slate Pencil Making
4. Agate Industry
5. Cement Industry
6. Pottery
7. Glass Manufacturing

1. **Application** — This Schedule shall apply to all factories or parts of factories in which the above said manufacturing activity containing free silica is carried on.

2. **Definitions**— For the purpose of this schedule—

(a) "manipulation" means crushing, breaking, chipping, dressing, grinding, sieving, mixing, grading or handling of stone or any other material containing free silica or any other operation involving such stone or material;

(b) "stone or any other material containing free silica" means a stone or any other solid material containing not less than 5% by weight of free silica.

3. **Preventative Control Measures**— No manipulation shall be carried out in a factory or part of a factory unless one or more of the following preventive control measures are adopted, namely—

3 (I). **Engineering Control Measures**

(1) **Wet Methods :**

(a) Airborne Silica Dust should be minimized or suppressed by applying water to the process or clean up;

(b) Water should be provided to drilling or sawing of concrete or masonry;

(2) **Ventilation:**

(a) Local exhaust systems should be used to remove silica dust from industrial processes.

(b) Dilution/ventilation may be used to reduce free silica dust concentration to below the permissible limits in large areas.

(c) Dust collectors/HEPA filter should be set up so that dust shall be removed from the source and all transfer points to prevent contaminating work areas.

(d) Ventilation systems should be kept in good working conditions.

(3) **Isolation:**

(a) Containment methods should be used while carrying out sand blasting.

(b) Cabins of vehicles or machinery cutting & drilling that might contain free silica should be enclosed and sealed.

(4) **Dust Control :**

(a) Vacuum System with High Efficiency Particle Air (HEPA) filter shall be used to remove dust from work areas and at all transfer points.

(b) The belt conveyors transferring crushed material shall be totally enclosed throughout its length.

Provided that such control measures as above said are not necessary if the process or operation itself is such that the level of dust created and prevailing does not exceed the permissible limit of Exposure specified in the Second Schedule of the Act.

3 (II). **Medical Control Measures**

(1) The occupier of every factory in which a worker employed in the processes specified in Sub Rule 1, shall ensure that every worker employed be examined by a Medical Inspector of Factories/Certifying Surgeon within 15 days of his first employment. Such medical examination shall include pulmonary function test and chest x Ray-posterior Anterior (PA) view to be compared with standard ILO Radiographs on Pneumoconiosis. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Certifying Surgeon.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a Certifying Surgeon at least once in every twelve months. Such re-examination shall, wherever the Certifying Surgeon considers appropriate, include all the tests as specified in sub-paragraph (1) except chest X-ray shall be read by a radiologist specialized/trained in the field of reading ILO Radiographs on Pneumoconiosis and which will at least once in 3 years.

(3) Every worker employed in any of the aforesaid processes on the date on which the schedule comes into force shall be radiological examined by the qualified Radiologist at the cost of the occupier using a standard size x-ray plates and the power of the X Ray machine shall be more than 300 milli ampere (mA). The report of such X Ray shall be submitted to the Medical Inspector of Factories/Certifying Surgeon/Chief Inspector for within three months of the said date.

(4) If at any time the Medical Inspector of Factories/Certifying Surgeon is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said process on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker he shall make a record of his findings in the said Certificate and the health register. The entry of his findings in these documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person so suspended from the process shall be provided with alternate placement facilities unless he fully is incapacitated in the opinion of the Certifying Surgeon, in which case the person affected shall be suitable rehabilitated.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub paragraph(4) above shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Certifying Surgeon, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(6) If a worker already in employment and declared unfit by the Medical Inspector of Factories/Certifying Surgeon shall not be allowed to work on any of the processes specified in sub rule 1, unless he has been examined again along with standard size chest x-ray plate from a qualified Radiologist, at the cost of the occupier and has been certified to be fit to work on the said processes again.

(7) For the purpose of medical supervision by the medical practitioner/certifying surgeon so appointed by the occupier shall be provided for his exclusive use a room in the factory premises which shall be properly cleaned, adequately lighted ventilated and furnished with a screen, a table with office stationary, chairs and other facilities and other equipments as may be prescribed by the Chief Inspector for time to time. The medical practitioner so appointed shall perform he following duties-

(a) Maintain health register;
(b) Undertake medical supervision of persons employed in the factory;
(c) look after health, education and rehabilitation of sick, injured or affected workers;
(d) Carry out inspection of work rooms where dangerous operation are carried out and advise the management of the measures to be adopted for the protection of health of the workers employed therein.

(8) The Health Records of the workers exposed to Silicosis, shall be kept up to a minimum period of 40 years from the beginning of the employment or 15 years after retirement or cessation of the employment, whichever is later and shall be accessible to workers concerned or their representatives.

(9) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner certificate of fitness and health shall be maintained in separate register approved by the Chief Inspector of Factories, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector and produce on demand.

3 (III). **Administrative Control Measures**

(1) **Work place/Environment Monitoring :** the occupier to ensure work place/environment monitoring to be performed to determine magnitude of exposure/concentration to evaluate engineering controls, selecting respiratory protection, work practices and the need for medical surveillance.

(a) Exposure/concentration measurements should be made in the employee's actual breathing zone.

(b) Total sampling time shall be at least 7 hours.

(c) Work place/Environment Monitoring shall be repeated quarterly.

(d) The report of dust sampling by occupier shall be made available to the public.

(2) **Training/Awareness:** Workers shall be trained in the following :—

(a) Health effects of free silica dust exposure.

(b) Operations and material that produce free silica dust hazards.

(c) Engineering controls and work practice controls that reduce dust concentration.

(d) The importance of good house keeping and cleanliness.

(e) Proper use of personal protective equipment such as respirators etc.

(f) Personal hygiene practices to reduce exposure.

(3) **House Keeping :** Maintenance of floors—

a) All floors or places where fine dust is likely to settle on and whereon any person has to work or pass shall be of impervious material and maintained in such condition that they can be thoroughly cleaned by a moist method or any other method which would prevent dust being airborne in the process of cleaning once at least during each shift.

b) For this purpose Dry sweeping or compressed air shall be used for clean up of dust or wet methods or vacuum system with a HEPA filter shall be used.

c) Dust on over head ledges and equipment should be removed before it becomes air borne due to vibration, traffic and random air current.

(4) **Change room and washing facilities**

(a) Washing and bathing facilities shall be conveniently located at a place easily accessible to the workers.

(b) Cloak room with individual lockers shall be provided for employees to store uncontaminated clothing.

(c) Workers shall take bath and change the work clothes before they leave the work site.

(d) Work clothes shall not be cleaned by blowing or shaking.

(e) Eating/lunch areas shall be located away from exposed areas.

(5) **Display of Notices :**

(a) Warning signs/Posters shall be displayed conspicuously in a prominent place.

(b) The warning signs/poster shall contain the Hazards, precautions.

(c) The display of notice shall be in the local language and also in the language understood by the majority of the workers.

(6) **Personal Protective Equipment**— The occupier of the every factory to which this schedule apply shall provide the following PPEs as per relevant BIS Standards and as applicable to a given work place.

(a) Dust respirator.

(b) HEPA filter respirator or fume respirator.

(c) HEPA filter respirator with full facepiece.

(d) Self contained breathing apparatus (SCBA)

(e) Supplied air respirator with a full face piece, helment or hood.

(f) SCBA with full face piece.

(g) Powered air purifying respirator with a HEPA filter.

(7) **Prohibition relating young person's**— No young person shall be employed or permitted to work in any of the operations involving manipulation or at any place where such operations are carried out.

(8) (1) **Exemptions**— If in respect of any factory, the Chief Inspector is satisfied that owing to the exceptional circumstances or in frequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector may by a certificate in writing, which he may in his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any, as he may specify therein.

(2) The notification of Silicosis and free silica related occupational diseases by medical Practitioner/certifying surgeon should be strictly enforced and in case of any Violation, the Medical Practitioner/certifying surgeon shall be liable to be prosecuted under Sec. 89 (4) of the Factories Act, 1948. The Fine so collected shall be deposited in the Silicosis relief fund.

By order and in the name of the Governor of the Chhattisgarh,

G. R. MALVIYA, Deputy Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक/एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला जशपुर के कुनकुरी एवं बगीचा निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

क्रमांक/7551/एफ-2/24/बीज/2011/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश में उत्पादित होने वाली फसलों के उच्च गुणवत्ता प्रमाणित एवं हाइब्रिड बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बीजों का उत्पादन कार्यक्रम लेने, उचित दर पर कृषकों को बीज उपलब्ध कराना, बीज उत्पादन कृषकों/समितियों के बीज क्रय एवं विक्रय हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना तथा बीज निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छ.ग. राज्य की बीज नीति 2014 लागू करती है।

यह नीति छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य की बीज नीति

1. **प्रस्तावना**

किसी भी फसल के उत्पादन में बीज की गुणवत्ता सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। कृषकों को मुख्य रूप से चार स्त्रोतों से बीज प्राप्त होता है:—

i. **कृषक के स्वयं के उत्पादन से।**

ii. **कृषकों द्वारा बीज के आपसी विनिमय से।**

iii. **शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं से।**

iv. **निजी क्षेत्र से।**

कृषक, इन सब स्त्रोतों में से बीज आपूर्ति हेतु मुख्य रूप से कृषक के स्वयं के उत्पादन अथवा कृषकों द्वारा बीज के आपसी विनिमय पर निर्भर होता है। विभागीय अनुमान के अनुसार इन दोनों स्त्रोतों से लगभग 65% से 100% तक बीज की आपूर्ति होती है। यह आपूर्ति फसल एवं किस्मवार अलग–अलग होती है। अतः बीज आपूर्ति को सशक्त बनाने हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

कृषि फसलों के बीजों की आपूर्ति छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा की जाती है, किन्तु अभी भी विशेष कर दलहन एवं तिलहन जैसी फसलों की मांग एवं आपूर्ति में भारी अंतर है। वर्तमान में उद्यानकीय फसलों के बीजों की आपूर्ति हेतु कृषकों की निर्भरता पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र पर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि High Volume-Low Value फसलों के बीजों की आपूर्ति निगम द्वारा होती है तथा Low Volume-High Value फसलों के बीजों की आपूर्ति निजी क्षेत्र से होती है। संकर बीजों की आपूर्ति भी निजी क्षेत्र के हाथों में है।

राज्य में उत्पादित होने वाली तथा उच्च संभावना वाली सभी कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित एवं हाईब्रिड प्रमाणित बीजों मांग अनुसार उपलब्धता योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने हेतु राज्य की यह बीज नीति तैयार की गई है। इसके प्रभावी कियान्वयन द्वारा प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार लाया जा सकेगा।

2. बीज से संबंधित प्रभावशील अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश

राज्य में बीज से संबंधित प्रभावशील अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश निम्नानुसार है:—

2.1 बीज अधिनियम 1966।

2.2 बीज अधिनियम (संशोधन) 1972।

2.3 बीज नियम— 1968।

2.4 बीज (नियंत्रण) आदेश 1983।

2.5 The Protection of Plant Varieties and Farmers Right- 2001.

2.6 The Biological Diversity Act-2002.

2.7 वानस्पतिक स्वास्थ्य नियमन (Phytosanitary Regulation)।

2.8 बौद्धिक सम्पदा अधिकार अधिनियम (Intellectual Property Right)।

उपरोक्त अधिनियमों, नियमों एवं नियंत्रण आदेश के प्रावधानों से विभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य समस्त पणधारियों (Stakeholders) को और भलींभाति भिज्ञ कराया जाना आवश्यक है। इसके लिये राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा।

3. विभिन्न फसलों के बीजों की मांग आँकलन की पद्यतियां

यद्यपि सामान्यतया विभिन्न फसलों के बीजों की मांग एकत्र करने की सुस्पष्ट प्रणाली विकसित नहीं है और ना ही समस्त कृषकों द्वारा समय पूर्व बीजों की मांग मैदानी अमले को दी जाती है, अतः वास्तविक मांग ज्ञात किया जाना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। तथापि बीजों की मांग का आँकलन निम्न आधार पर किया जाता है।

3.1. बीज की मांग के आंकलन की सामान्य पद्यति (General System of Assessment of Seed Demand)

(i) गतवर्षो में फसल विशेष/किस्म विशेष का वितरण।

(ii) बाजार में उत्पादित फसल/किस्म के भाव।

(iii) किस्म विशेष की कीट—व्याधि एवं मौसम के प्रति सवेंदनशीलता।

(iv) किस्म विशेष के विशेष गुणधर्म।

(v) विभिन्न योजनाओं में देय अनुदान एवं विक्रय दर।

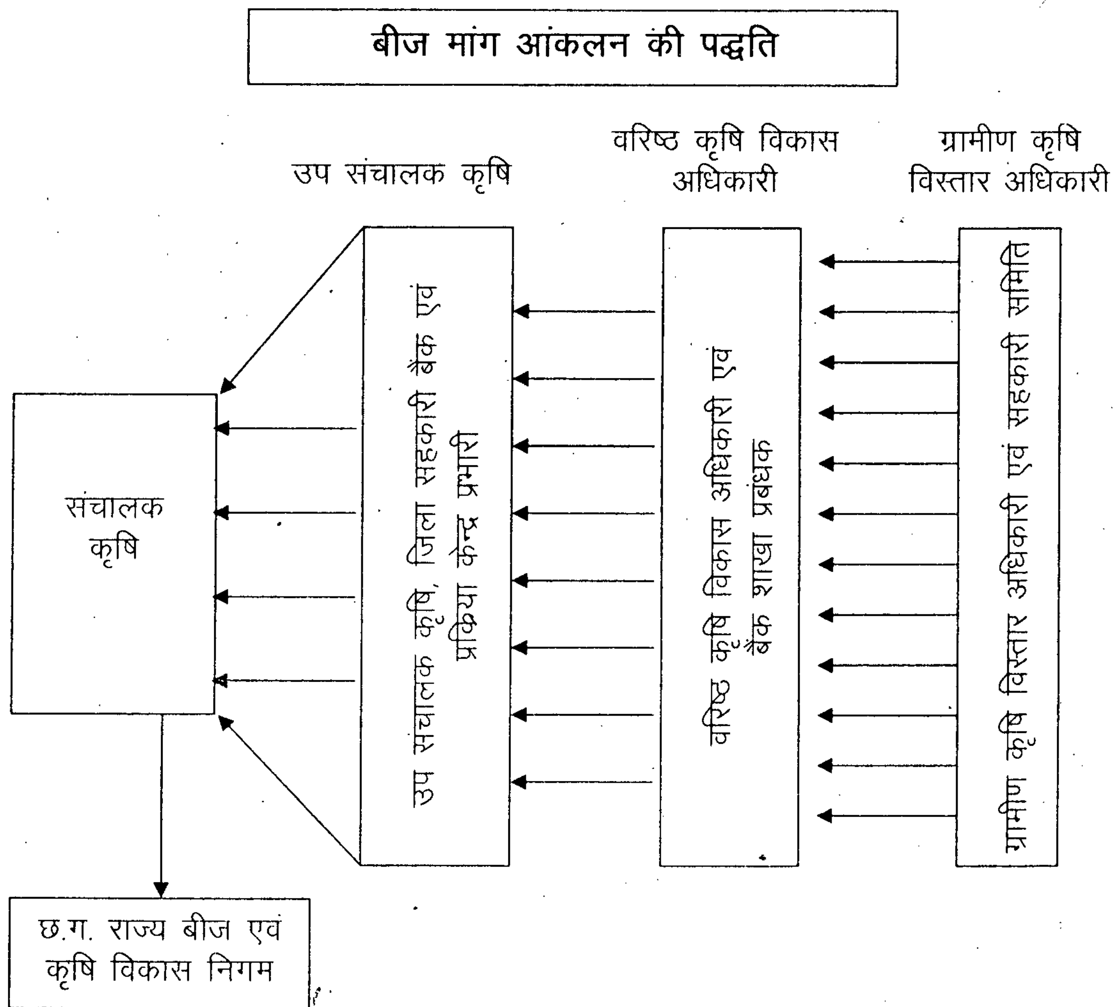
3.2 बीज/किस्म प्रतिस्थापन के आधार पर बीज की मांग का आंकलन (Assessment of Seed Demand Based on Seed/ Variety Replacement Rate)

कृषकों द्वारा उपयोग किये जा रहे बीज/किस्म को प्रमाणित बीज से प्रतिस्थापित करने लक्ष्य निर्धारित कर प्रमाणित बीज की मांग का आंकलन किया जाता है। सामान्यतया किस्मों में प्रतिस्थापन दर 100 तथा अन्य किस्मों में 33% होना उपयुक्त होता है।

3.3. बीज रोलिंग प्लान के आधार पर बीज की मांग का आंकलन (Assessment of Seed Demand Based on Seed Rolling Plan)

बीज रोलिंग प्लान के अंतर्गत कृषकों की आगामी तीन वर्ष आगे की बीज किस्म की मांग के आधार पर, आधार एवं प्रजनक बीज के मांग की गणना की जाती है। कृषकों की प्रमाणित बीज की मांग बीज/किस्म के प्रतिस्थापन दर के लक्ष्य के आधार निर्धारित की जाती है। इसमें कृषकों की भागीदारी नहीं होती।

उपरोक्त विधियों से बीज मांग का किया गया आंकलन सटीक नहीं होता तथा इस प्रकार से मांग के आंकलन में कृषकों एवं पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती।



3.4 **बीज मांग आंकलन करने हेतु प्रस्तावित रणनीति (Proposed Strategy for Collection of Demand of Seed)**

(i) खाद्य विभाग द्वारा धान उपार्जन हेतु 32 लाख से भी अधिक कृषकों का डाटाबेस तैयार किया गया है। इस साफ्टवेयर में धान बोनी के पश्चात धान उपार्जन हेतु कृषकों का पंजीयन किया जाता है। **पंजीयन हेतु प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख कृषक सहकारी समितियों में आते हैं।** इस साफ्टवेयर में बीज की मांग एकत्र करने का प्रावधान कर फसलवार विभिन्न किस्मों की मांग एकत्र किया जा सकता है।

(ii) **अग्रिम बुकिंगः–** छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा बीज की उपलब्धता के आधार पर बीज मांग एकत्र करने हेतु अग्रिम बुकिंग प्रणाली अपनाई जावेगी। अग्रिम बुकिंग की राशि व्यवहारिक रखी जावेगी जिससे कि समस्त वर्ग एवं श्रेणी के कृषकों को अग्रिम बुकिंग करने में आसानी हो। बीज प्रदाय करते समय अग्रिम बुकिंग करने वाले कृषकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी। इस प्रणाली का व्यापक प्रचार–प्रसार कर कियान्वयन किया जावेगा। अग्रिम बुकिंग हेतु खरीफ फसलों एवं रबी फसलों के लिये अलग–अलग माह निर्धारित किया जावेगा। इस कार्य हेतु पंचायतों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जावेगी।

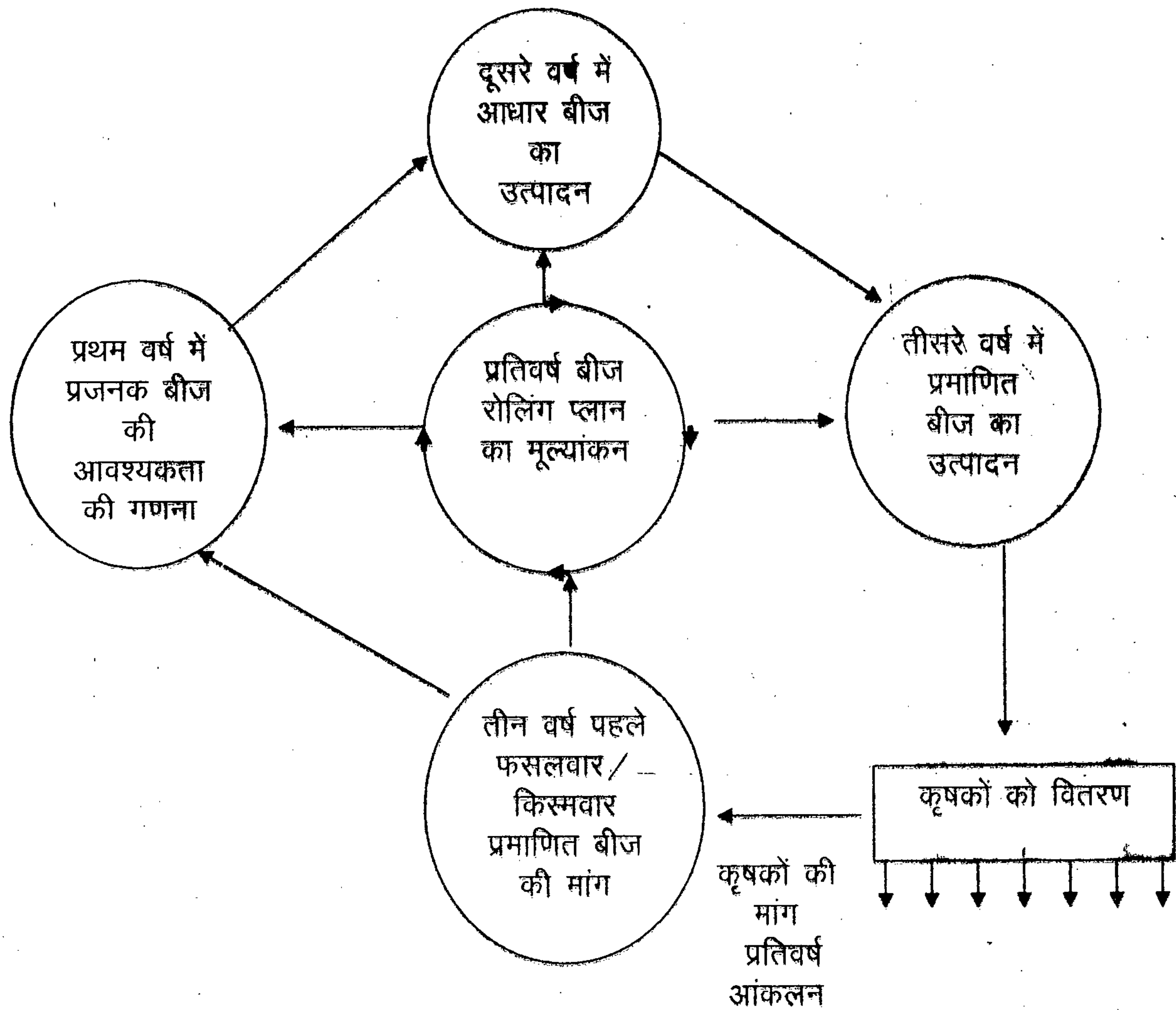
(iii) राज्य में उद्यानिकी फसल लेने वाले कृषकों की संख्या सीमित है। ऐसे कृषकों को चिन्हित कर अलग से डाटाबेस तैयार कर बीजों की मांग एकत्रित किया जावेगा।

(iv) प्रतिवर्ष की मांग तीन वर्ष पहले एकत्र कर बीज उत्पादन श्रृंखला (Seed Production Chain) स्थापित की जावेगी। इस श्रृंखला में विशेष रूप से नवीन किस्मों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन को विशेष महत्व दिया जावेगा।

4. बीज रोलिंग प्लान (Seed Rolling Plan)

4.1 कृषि फसलें

वर्तमान में Seed Rolling Plan में सभी श्रेणी के बीजों के बीज उत्पादन को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृषि विभाग, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम एवं इं.गॉ.कृ.वि. के द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक फसल के विभिन्न किस्मों के किस्मवार, मौसमवार प्रत्येक श्रेणी (प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीज) को सम्मिलित करते हुए बीज उत्पादन हेतु पांच वर्षो का बीज रोलिंग प्लान तैयार किया जावेगा। इस प्लान की विशेषज्ञों द्वारा प्रतिवर्ष समीक्षा कर कृषकों की मांग एवं नवीन किस्मों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किया जावेगा। Seed Rolling Plan तैयार एवं समीक्षा करने हेतु संचालनालय कृषि नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।



4.2 **<u>उद्यानिकी फसलें</u>**

राज्य में उद्यानकीय फसलों के बीज की आपूर्ति मुख्य रूप से निजी क्षेत्र से होने के फलस्वरूप उद्यानिकी फसलों का बीज रोलिंग प्लान तैयार नहीं किया जा रहा है। इन फसलों का भी रोलिंग प्लान तैयार कर उसके क्रियान्वयन से उद्यानकीय फसलों के बीजों की उपलब्धता सुलभ होगी। प्लॉन तैयार करने हेतु संचालनालय उद्यान के विशेषज्ञ, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम एवं इं.गॉ. कृ.वि. के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त समिति गठित की जावेगी। निजी क्षेत्र के बीज उत्पादक एवं अन्य पणधारियों की बीज रोलिंग प्लान तैयार करने में भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी। **संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, उद्यानिकी फसलों का बीज रोलिंग प्लान तैयार करने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।**

5. शासकीय एवं निगम प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन

आधार बीज (Foundation Seed) उत्पादन का कार्य मुख्य रूप से शासकीय एवं निगम के प्रक्षेत्रों में किया जाता है। इन प्रक्षेत्रों में धान बीज का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है, दलहन एवं तिलहन हेतु जल निकास जैसी पर्याप्त व्यवस्था न होने के फलस्वरूप बीज उत्पादन के अनुरूप स्थितियाँ बहुत कम है।

प्रक्षेत्रों की वित्तीय स्थिति संतोषप्रद नहीं है। इसके अलावा प्रक्षेत्र के मानव संसाधन, आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने में दक्ष नहीं है। अतः प्रक्षेत्रों को सक्षम बनाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:--

5.1 प्रक्षेत्रों की अधोसंरचना को आधुनिकीकरण के द्वारा सुदृढ़ किया जावेगा।

5.2 दलहन एवं तिलहन बीज उत्पादन हेतु प्रक्षेत्रों एवं प्रक्षेत्रों के हिस्सें को चिन्हांकित कर विकसित किया जावेगा।

5.3 शासकीय प्रक्षेत्रों की क्षमता पूर्ण दोहन नहीं होने के कारण इसमें सुधार की पर्याप्त गुंजाईश है। प्रक्षेत्रों के संसाधनों को श्रेष्ठतम उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र के साथ पब्लिक--प्राईवेट-- पार्टनरशीप मोड पर कार्य करने हेतु रणनीति तैयार करने पर विचार किया जावेगा।

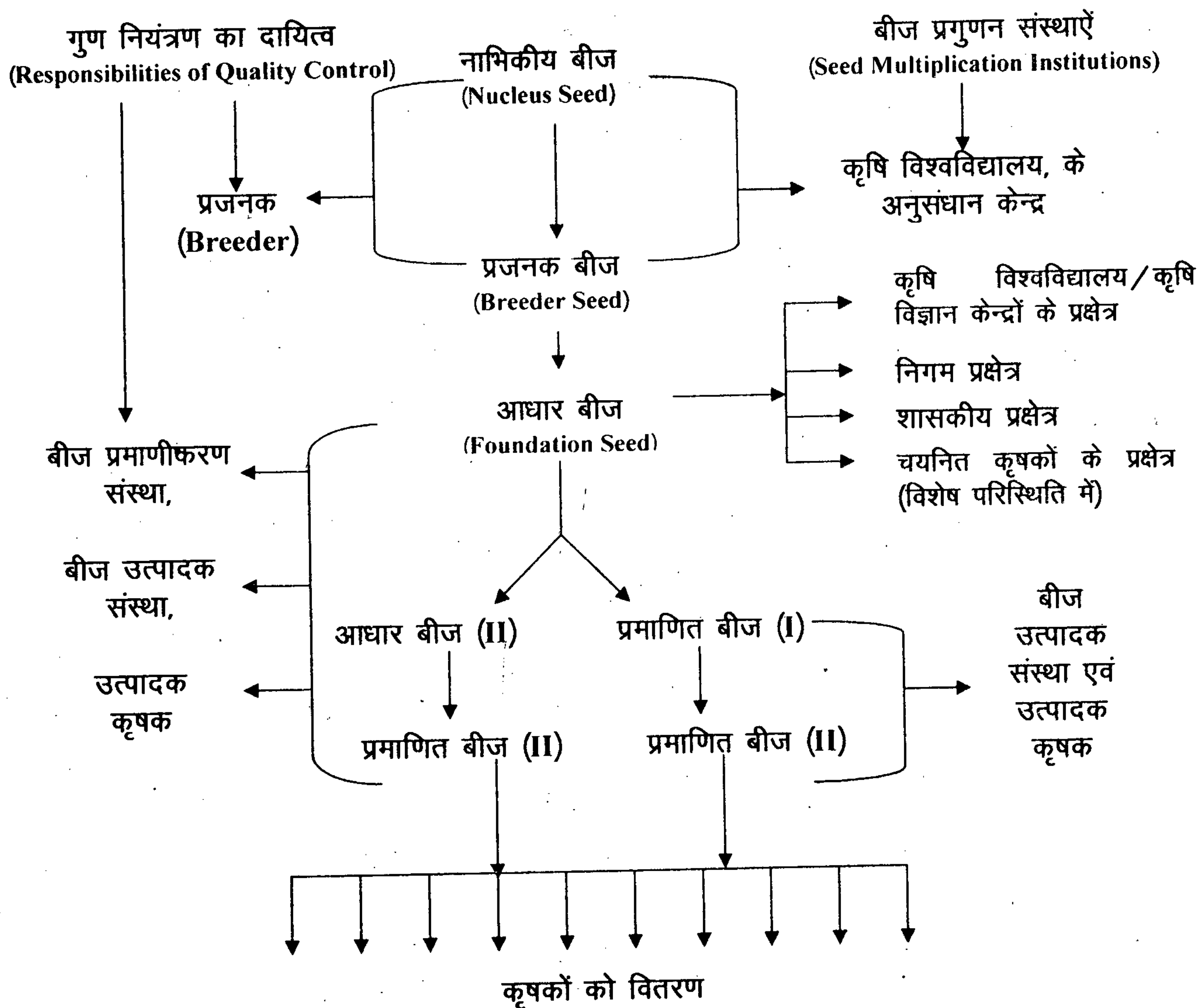
5.4 प्रक्षेत्रों के मानव संसाधन को आधुनिक प्रौद्योगिकी पर नियमित प्रशिक्षित किया जावेगा। इस प्रकार के प्रशिक्षणों में कौशल प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास प्रमुख हिस्सा होगा।

6. मांग अनुसार आवश्यक प्रमाणित/हाईब्रिड बीजों एवं पौधों का उत्पादन

6.1 कृषि फसलों का बीज उत्पादन

6.1.1 कृषि फसलों के बीज उत्पादन की वर्तमान स्थिति

राज्य में कृषि फसलों के विभिन्न श्रेणी के प्रमाणित बीजों के उत्पादन का कार्य इंदिरा गॉधी कृषि विश्वविद्यालय के 29 प्रक्षेत्रों, 17 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों एवं छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के 10 प्रक्षेत्रों पर खरीफ में 1406.24 हेक्टेयर तथा रबी में 1306.58 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम के बीज उत्पादक कृषक, निजी एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा भी प्रमाणित बीज उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय (Nucleus) एवं प्रजनक बीज (Breeder Seed) उत्पादन का कार्य कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर प्रजनक (Breeder) की देखरेख में किया जाता है जबकि आधार बीज (Foundation Seed) उत्पादन का दायित्व कृषि विभाग (शासकीय प्रक्षेत्रों में) छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा इंदिरा गॉधी कृषि विश्वविद्यालय का है। प्रमाणित बीजों (Certified Seeds) के उत्पादन करने का दायित्व मुख्य रूप से निगम का है। आधार एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में बीज अधिनियम--1966 के अधीन बने निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है।



विभिन्न फसलों एवं किस्मों हेतु निर्धारित प्रमाणीकरण के न्यूनतम मानक जिनका निर्धारण "केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड" द्वारा किया जाता है, के अनुरूप पाये जाने पर प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है। अतः इस प्रकार प्रमाणित बीज उत्पादन की जिम्मेदारी छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम की है, किन्तु गुणवत्ता की जिम्मेदारी छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की है।

6.1.2 बीज आपूर्ति का परिदृश्य

छत्तीसगढ़ राज्य, वर्तमान में धान, कोदों, रागी एवं रामतिल बीज की आपूर्ति हेतु स्वावलम्बी है, मांग की शत–प्रतिशत आपूर्ति राज्य में उत्पादित प्रमाणित बीज से होती है। किन्तु दलहन, तिलहन एवं संकर बीज की आपूर्ति हेतु हमारी निर्भरता अन्य राज्यों पर है। अभी भी अरहर–78%, मूँग–100%, उड़द–94%, सोयाबीन–39%, मूँगफली–100%, मटर–100%, चना –38%, अलसी– 50%, एवं संकर बीज 100% की आपूर्ति अन्य राज्यों से होती है।

6.1.3 कृषि बीज उत्पादन की प्रस्तावित रणनीति (**Proposed Strategy for Seed Production)**

(i) बीज उत्पादन श्रृंखला में विभिन्न फसलों की किस्मों का **बीज प्रगुणन अनुपात (Seed Multiplication Ratio)** अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न फसलों के अलग–अलग किस्मों का बीज प्रगुणन अनुपात राज्य हेतु निर्धारित नहीं किया जा रहा है, अतः इसके निर्धारण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जावेगी।

(ii) प्रजनक बीज उत्पादन का दायित्व प्रजनक/ राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAU) का है, इसी प्रकार आधार बीज उत्पादन का दायित्व शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र एवं निगम का है। प्रमाणित बीज उत्पादन में पंचायतों की भूमिका स्पष्ट नहीं है और न ही प्रमाणित बीज उत्पादन में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी है। अतः **राज्य की कृषि नीति के पैरा 9.4.1.2 में बीज उत्पादन में पंचायत की सहभागिता पर जोर दिया गया है।** बीज उत्पादन में पंचायतों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु पंचायत अथवा पंचायत समूह के अंतर्गत बीज उत्पादक कृषक अभिरूचि समूह अथवा बीज उत्पादक सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित किया जावेगा जिससे कि पंचायतों के प्रमाणित बीजों की मांग की आपूर्ति पंचायत स्तर पर सुनिश्चित हो सके।

(iii) राज्य अभी भी धान बीज उत्पादन को छोड़कर अन्य फसलों के बीज उत्पादन में अन्य राज्यों पर आश्रित है। राज्य में दलहन एवं तिलहन बीजों का आयात अन्य राज्यों से होता है। इन फसलों के बीज उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है। सोयाबीन, अरहर, चना, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, अलसी, रामतिल, आदि फसलों के बीज उत्पादन हेतु जिलों एवं प्रकिया केन्द्रों को चिन्हांकित कर इन फसलों के लिये बीज उत्पादन की कार्य योजना तैयार की जावेगी। राज्य में विभिन्न **फसलों एवं किस्मों की आपूर्ति हेतु "राज्य बीज ग्रिड" की स्थापना की जावेगी।**

6.2 उद्यानिकी फसलों का बीज एवं पौध सामग्री उत्पादन

राज्य में उद्यानिकी विभाग के पास 110 रोपणी एवं एक बीज उत्पादक प्रक्षेत्र है। रोपणियों का रकबा 644 हेक्टेयर तथा प्रक्षेत्र का रकबा 30 हेक्टेयर है। इन रोपणियों में 55916 मातृ वृक्ष है तथा इनकी पौध उत्पादन क्षमता 2 करोड़ पौध से अधिक की है। उत्पादन आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 42–45 लाख पौधों (बीजू पौध को मिलाकर) का उत्पादन किया जाता है।

उद्यानिकी फसलों के बीज उत्पादन की प्रस्तावित रणनीति (**Proposed Strategy for Seed Production of Horticulture Crops**)

यद्यपि उद्यानिकी विभाग की रोपणियों के सुदृढ़ीकरण का कार्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) के अंतर्गत किया गया है, किन्तु इन रोपणियों की क्षमता एवं वर्तमान उत्पादन में अंतर है। राज्य अभी भी पौध सामग्री आपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र पर निर्भर है। राज्य में नर्सरीयों से पौध सामग्री उत्पादन हेतु तीन वर्षीय कार्यक्रम तैयार कर रोपणी/प्रक्षेत्रों के उत्पादन की निरंतर समीक्षा की जावेगी।

उद्यानिकी विभाग में बाना प्रक्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य उद्यानिकी फसलों का बीज उत्पादन था, किन्तु अभी भी प्रक्षेत्र में उद्यानिकी फसलों के बीज उत्पादन के कार्य को अधिक तीव्रतर स्तर से करने की आवश्यकता है। जिससे की राज्य में उद्यानिकी फसलों के बीज उत्पादन की श्रृंखला (Seed Production Chain) स्थापित हो सके। इस हेतु इं.गॉ.कृ.वि., उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग एवं छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जावेगी। यह समिति उद्यानिकी फसलों के बीजों की मांग एवं उत्पादन की समीक्षा कर कार्यक्रम निर्धारित करेगी तथा उसका कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कदम उठायेगी:—

(i) राज्य में उपलब्ध संसाधनों एवं अधोसंरचना का श्रेष्ठतम उपयोग कर उद्यानिकी फसलों के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज एवं पौध सामग्री का उत्पादन कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना।

(ii) उद्यानिकी फसलों के बीज उत्पादन हेतु निगम /शासकीय प्रक्षेत्रों एवं कृषकों का चयन करना।

(iii) छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को चयनित उद्यानिकी फसलों के ओ. पी. (Open Polinated) किस्मों के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु कृषि फसलों के भांति कार्य योजना तैयार कर लागू करना।

(iv) राज्य में उद्यानिकी बीज एवं पौध सामग्री उत्पादन हेतु अधोसंरचना का विकास करना एवं उपलब्ध ढॉचें का सुदृढ़ीकरण करना।

6.3 संकर बीज उत्पादन (Hybrid Seed Production)

राज्य में निजी क्षेत्रों द्वारा धान, मक्का एवं सब्जियों के संकर बीजों बीज प्रगुणन अनुपात आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होने के फलस्वरूप व्यावसायिक संकर बीज का उत्पादन कर अन्य प्रदेशों को निर्यात किया जा रहा है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों की क्षमता में कमी के कारण संकर बीज उत्पादन की श्रृंखला न होने के फलस्वरूप कृषको की निर्भरता निजी क्षेत्र पर है तथा संकर बीज उत्पादन में निजी क्षेत्र का एकाधिकार है। अतः प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से संकर बीज उत्पादन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिसके लिये छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं कृषि

विज्ञान केन्द्रों के मानव संसाधन को दक्ष बनाने के लिये सघन प्रशिक्षण दिया जावेगा। संकर बीजों के उत्पादन हेतु निगम एवं शासकीय प्रक्षेत्रों का चयन कर उनकी अधोसरंचनाओं संकर बीज उत्पादन के अनुकूल विकसित किया जावेगा। राज्य में निजी क्षेत्रों में संकर किस्मों के बीज उत्पादन की अच्छी संभावना को देखते हुए राज्य को **"संकर बीज उत्पादन हब"** के रूप में विकसित किये जाने की व्यापक संभावना है। संकर किस्मों के बीज उत्पादन हेतु आवश्यकतानुसार पब्लिक–प्राईवेट–पार्टनरशीप मॉडल एवं निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जावेगा। यह व्यवस्था बीज उत्पादक कृषक, उत्पादक संस्था एवं कृषकों के लिये लाभदायक होगी।

6.4 टिश्युकल्चर पौध उत्पादन (Production of Tissueculture Plants)

प्रदेश में टिश्युकल्चर पौधों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है जिसकी आपूर्ति राज्य के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से की जा रही है। राज्य की मांग को देखते हुए राज्य में टिश्युकल्चर प्रयोगशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जावेगा।

7. बीज गुण नियंत्रण

7.1 बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला (Seed Quality Control Lab)

वर्तमान में राज्य में एक बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधीन कियाशील है। बीज गुण नियंत्रण हेतु जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जावेगा। गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को आधुनिक प्रौद्योगिकी सुविधाओं से सुसज्जित किया जावेगा एवं मानव संसाधनों को प्रशिक्षित कर उसके अनुरूप बनाया जावेगा। राज्य की बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप बनाने हेतु इसको अन्तर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (International Seed Testing Association) का सदस्य बनाया जावेगा एवं उनकी मान्यता (Accreditation) प्राप्त करने हेतु कदम उठाये जावेंगे।

7.2 उद्यानिकी पौध सामग्री का गुण नियंत्रण

उद्यानिकी फसल उत्पादन में बीज के साथ–साथ पौध सामग्री महत्वपूर्ण आदान है। पौध सामग्री की आपूर्ति मानक स्तर की न होने से इसका सीधा असर कृषक की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। **पौध सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राज्य में रोपणी अधिनियम (Nursery Act) अधिनियमित करने पर विचार किया जायेगा।**

8. बीज उत्पादक कृषकों/समितियों से बीज कय

राज्य के बीज उत्पादक कृषकों /समितियों को बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें उत्पादित बीजों का पर्याप्त मूल्य मिले। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फसल विशेष का समर्थन मूल्य / मण्डी भावों एवं बीज उत्पादन में आने वाली लागत एवं परिवहन लागत आदि व्ययों तथा विभिन्न योजना के अंतर्गत देय सहायता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ आधार एवं प्रमाणित बीज का उपार्जन दर निर्धारित किया जावेगा।

9. कृषकों को बीज विक्रय

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा आधार एवं प्रमाणित बीजों के विक्रय दर का निर्धारण पूर्ण पारदर्शिता के साथ तथा न्यनतम दर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा।

10. बीज अनुसंधान

उन्नत किस्मों का विकास

उन्नत प्रौद्योगिकी का बीज फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण वाहक है। फसल उत्पादन, उसकी सुरक्षा एवं उत्पाद की गुणवत्ता हेतु बीज एक समावेशी आदान है। अच्छे बीजों के उपयोग से 15% –20% तक अधिक उत्पादन संभव है।

10.1. राज्य में एवं अन्यत्र उपलब्ध जर्मप्लाज्म का उपयोग कर नवीन किस्मों को विकसित किया जावेगा। जर्मप्लाज्म के स्वभाव का निर्धारण (Characterization) हेतु जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जावेगा। इस कार्य हेतु विशेष कार्य योजना तैयार की जावेगी।

10.2. स्थानीय ग्राह्यता, बाजार, जैविक एवं अजैविक तनाव (Biotic and Abiotic Stress) व कृषकों की आवश्यकता के अनुरूप नवीन किस्मों का विकास किया जावेगा।

10.3. राज्य में कृषि क्षेत्र में अनुवांशिक विविधता (Genetic Diversity) बहुतायत में है। अतः राज्य में उपलब्ध अनुवांशिक संसाधन (Genetic Resources) के सर्वे, संरक्षण, मूल्यांकन एवं स्वभाव निर्धारण (Characterization) की ओर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

10.4. Market assisted breeding programme को प्रोत्साहित किया जावेगा।

10.5. कृषकों की भागीदारी से नवीन किस्मों का चयन किया जावेगा।

10.6. The Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act 2001 (PPV & FR–2001) एवं The Biological Diversity Act –2002 राज्य में प्रभावशाली है। इन अधिनियमों में कृषक / कृषक समूह की भूमिका प्रजनक (Breeder) एवं संरक्षक (Conserver) के रूप में परिभाषित की गई है। कृषकों की भूमिका को सुरक्षित रखने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की जावेगी।

10.7 बीज के उत्पादन, रख–रखाव, भण्डारण, गुणवत्ता, सुरक्षा तथा बीज के मानकों का निर्धारण, बीज प्रसंस्करण एवं बीज मूल्य वर्धन पर निरंतर अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है। इन कार्यो के लिये समुचित संसाधन उपलब्ध कराये जावेंगे एवं सुस्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर कार्य किया जावेगा।

10.8. बीज पैलेटिंग, हार्डनिंग एवं कोटिंग प्रौद्योगिकी पर कुछ फसलों में अनुसंधान का कार्य किया गया है। इस क्षेत्र में किये गये प्रयास पर्याप्त नहीं है। इन पर कमबद्ध अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है। राज्य में बीज पैलेटिंग, हार्डनिंग एवं कोटिंग की प्रौद्योगिकी विकसित कर प्रोटोकॉल तैयार किये जावेंगे।

10.9. कृषि विकास में दिन--प्रतिदिन जैव प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र में विभिन्न फसलों के नवीन किस्मों का विकास किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, जैविक एवं अजैविक तनाव, उच्च पोषण स्वभाव की किस्मों के विकास में जैव प्रौद्योगिकी अग्रणी विधा के रूप में स्थापित हुई है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी (Genetic Engineering) एवं रूपातंरण प्रौद्योगिकी (Modification Techniques) के सुरक्षित उपयोग से नवीन किस्मों का विकास किया जावेगा। इस तकनीक के उपयोग से विकसित किस्मों को मानव, पशु एवं पर्यावरण सुरक्षा के समस्त मापदण्डों के अंतर्गत परीक्षण उपरांत ही जन साधारण के उपयोग हेतु जारी किया जावेगा। इन किस्मों के विकास में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम–1986 (Evivroment Protection Act-1986) एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

10.10. ऐसी प्रजातियॉ जिनमें बीज दुर्लभ है एवं वानस्पतिक प्रगुणन भी कठिन है, उन प्रजातियों के बीज उत्पादन हेतु जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सोमेटिक (Somatic) बीज उत्पादन हेतु अनुसंधान कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य में अभी इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इस प्रौद्योगिकी को विकसित करने हेतु विशिष्ट कार्ययोजना तैयार कर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

11. वनस्पति स्वास्थ्य (Phytosanitary)

प्रकोपित एवं दूषित बीज (Infested, Infected & Contaminated Seed) फसलों में कीट–व्याधि एवं अन्य प्रकार की समस्याओं के प्रसार का एक प्रमुख माध्यम है। इतिहास साक्षी है, इसके कारण कई देशों में दुर्भिक्ष जैसी स्थितियॉ निर्मित हुई थी। World Trade Organization (WTO) के प्रभावशाली होने से इसका महत्व और अधिक हो गया है। अतः पौध स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन कर, इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर क्रियान्वयन किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जावेगा, जो किसी बीमारी, कीट अथवा अन्य समस्याओं से ग्रसित/संवेदनशील है। इन क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने से परहेज (Eschew) किया जावेगा।

12. बीज निर्यात

विश्व के कुल बीज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है एवं प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग शून्य है। राज्य की कृषि जलवायु की विविधता के फलस्वरूप सभी प्रकार के बीजोत्पादन की श्रेष्ठ संभावनाऐं है। छत्तीसगढ़ राज्य अन्य प्रदेशों एवं अन्य देशों को धान, रामतिल, कोदो–कुटकी, मक्का एवं उद्यानिकी फसलों के बीजों की निर्यात करने की शक्ति रखता है। बीज निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना एवं दिशा निर्देश तैयार कर क्रियान्वयन किया जावेगा।

13. विविध

13.1 विभिन्न फसलों का SRR बढ़ाने हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार कर उसका कियान्वयन सुनिश्चित किया जावेगा।

13.2 बीज उद्योग के समावेशी विकास के लिये कार्ययोजना तैयार की जावेगी, इसमें समस्त पणधारियों (Stakeholders) की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।

13.3 सार्वजनिक के साथ–साथ निजी क्षेत्र में बीज उद्योग की स्थापना हेतु विशेष पहल की जावेगी।

13.4 बीज उद्योगों में उपयोग आने वाले मशीनों, उपकरणों को वाणिज्य कर से मुक्त (Vat Tax) करने हेतु पहल की जावेगी।

13.5 ग्राम पंचायत स्तर पर बीज अधिकोष की स्थापना को प्रोत्साहित किया जावेगा।

13.6 बीज उत्पादक कृषकों के लिये बीज उत्पादन बीमा, फसल बीमा की तर्ज पर योजना तैयार कर कियान्वयन किया जावेगा।

13.7 **राज्य में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग कर राज्य को संकर बीज उत्पादन के हब के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जावेगा।**

13.8 बीज प्रमाणीकरण के बढ़ते कार्य को देखते हुए बीज निरीक्षक एवं प्रमाणीकरण अधिकारियों को और अधिक संवेदनशील एवं तत्परता से कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु पहल की जावेगी।

14. उपसंहार

छ.ग. राज्य की कृषि जलवायु की विविधता तथा संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कोदो–कुटकी से लेकर गन्ना, आलू, केला, पपीता, लीची जैसी फसलें ली जा रही है। अतः इस स्थिति का दोहन करते हुए राज्य में अनाज, दलहन, तिलहन, साग–सब्जी, फलदार पौध एवं अन्य उद्यानिकी व कृषि फसलों के बीज उत्पादन की भरपूर सम्भावना है। छ.ग. राज्य बीज के क्षेत्र में निर्यातक राज्य के रूप में विकसित हो सकता है। जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र कार्य करने में असमर्थ है उस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जावेगा। इस प्रकार की पहल राज्य के बीज उत्पादक कृषकों, बीज उपयोग करने वाले कृषकों, बीज उद्योग तथा राज्य के उद्यानिकी विभाग में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
  (ख) तहसील-बिलासपुर
  (ग) नगर/ग्राम-अकलतरी
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.43 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1538/1	0.10
	1825/1	0.56
	1825/2	0.55
	1825/3	0.55
	1825/4	0.55
	1824	0.12
योग	6	2.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकलतरी जलाशय डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82 वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
  (ख) तहसील-बिल्हा
  (ग) नगर/ग्राम-बिटकुली
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.02 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
277/1	0.08
317/2	0.12
317/1	0.05
277/5	0.15
316	0.02
277/2	0.23
277/4	0.05
277/6	0.06
277/3	0.06
283/1	0.25
283/5	0.34
283/8	0.25
283/3	0.12
284	0.06
285/1	0.06
285/2	0.06
286/1	0.10
286/2	0.06
286/4	0.12
288	0.32
287/3	0.10
296/5	0.18

	(1)	(2)
	296/4	0.18
योग	23	3.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिटकुली जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मंगला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	618/1	0.25
	618/2	0.25
	617	0.09
	622	0.04
	623	0.14
	611/1	0.02
	641/1	0.04
	641/2	0.15
योग	8	0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ओखर एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-कनेरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	350/1	0.21
	403/4, 403/16	0.25
	403/1, 403/14	0.21
	77/3	0.44
	358	0.10
	359/2	0.07
	379	0.02
	378	0.02
	377	0.06
	367/3	0.03
	367/2	0.04
	367/1	0.13
	404	0.18
	405	0.09
योग	14	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत कनेरी सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
   (ख) तहसील-बिल्हा
   (ग) नगर/ग्राम-लिमतरी
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	310	0.18
	302/1, 302/2	0.02
	301	0.19
योग	3	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत लिमतरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
   (ख) तहसील-बिल्हा
   (ग) नगर/ग्राम-पिरैया
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.14 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	92/2	0.08
	47/3	0.34
	44/2	0.28
	47/5	0.14
	46/1	0.17
	44/9	0.02
	46/5	0.04
	129/4	0.07
योग	8	1.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत पिरैया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
   (ख) तहसील-बिल्हा
   (ग) नगर/ग्राम-कुरेली
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.31 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
190	0.09
14, 15	0.10
31	0.11
35	0.07
32	0.04
28	0.08
26	0.11
24	0.08
173	0.01
206, 207/1	0.03
209, 210, 211	0.08
207/2	0.13
214/1	0.05
203, 212, 213	0.05
214/2, 214/4, 214/5, 214/6	0.05
214/3	0.06
215/2	0.20
216/1	0.09
216/2	0.15
327/1	0.34
326/7	0.11
326/6	0.08
326/3	0.11
326/4	0.09
योग 24	2.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुरेली मा. नं. 1 एवं 2 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2014

क्रमांक/05 क/वा./भू.अ./अविअ/प्र.क्र. 45/अ 82 वर्ष 2013-14—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उपरवारा, प.ह.नं. 137/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1317	0.10
2463	0.20
2894/1	2.00
2894/2	0.82
2910/1	0.11
2911/1	0.48
2912	0.26
2913	0.27
2914/1	0.99
2915	0.95
2916	0.35
2617	0.08
2618	0.10

	(1)	(2)
	2619	0.12
	2920	0.05
	2921	0.32
	2922	0.04
योग	17	7.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य योजना क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जशपुर (छ.ग.)

जशपुरनगर, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक 885/नग्रानि./जशपुर/वि.यो./2014.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जशपुर निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला जशपुर (छ.ग.), कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जशपुर (छ.ग.) तथा प्रदर्शनी स्थल, नगर पालिका सामुदायिक भवन, पुराना बाजारडांड के पास, जशपुरनगर जिला जशपुर (छ.ग.) में दिनांक 03-11-2014 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

जशपुर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

जशपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम नवाटोली, दासडूमरटोली, बघिमा एवं टिकैटगंज ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम टिकैतगंज, डिपाटोली, गम्हरिया एवं बालाछापर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बालाछापर, कनमोरा एवं जोबला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम जोबला, सारूडीह, कोमडो, बम्हनीडांड, भमरी एवं नवाटोली ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सूझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 885/T & CP/Jashpur/DP/2014.—Notice is hereby given that of existing land use map for Jashpur planning area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection from 03-11-2014 during office hour in the office of the collector Distt. Jashpur C. G., office of the Assistant Director Town and Country Planning, Jashpur C. G. and Municipal Community hall near old Bazardand Jashpurnagar Distt. Jashpur C. G.

The limits of Jashpur Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Jashpur Planning Area

NORTH	:	Village Nawatoli, Dasdumartoli, Baghima and Tikaitganj to Northern boundary.
EAST	:	Village Tikaitganj, Dipatoli, Gamhariya and Balachhapar to Eastern boundary.
SOUTH	:	Village Balachhapar, Kanmora and Jobla to Southern boundary.
WEST	:	Village Jobla, Sarudih, Komado, Bamhanidand, Bhabhari and Nawatoli to Western boundary.

If there be any objection or suggestion regarding so prepared the existing land use map should be given in wiriting at the place of inspection within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette"

Where any objection or suggestion regarding said above existing land use map which received from any person before the specified period will be consider by the Commissioner cum Director Town and country planning Chhattisgarh Naya Raipur.

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

संचालनालय कृषि छ.ग., रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2012

क्रमांक गन्ना/आरक्षण/2012-13/115.—मैं पी. सी. पाण्डेय, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, केरता जिला सूरजपुर के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामें का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2014-15 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार क्रय केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र.	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखंड का नाम	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र (हे. में)
1.	कारखाना द्वार केरता	प्रतापपुर	63	2328.482
		राजपुर	24	1628.225
		सूरजपुर	43	1171.623
		अंबिकापुर	17	113.117
		लखनपुर	14	33.381
		लुण्ड्रा	04	47.591
2.	रघुनाथपुर (दर्रीडीह)	लुण्ड्रा	63	1426.149
		बतौली	35	729.963
		सीतापुर	20	213.332
3.	पंपापुर (खजूरी)	अंबिकापुर	6	46.754
		बतौली	3	28.607
		योग	**292**	**7767.224**

पी. सी. पाण्डेय,
गन्ना आयुक्त.

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मार्यदित अम्बिकापुर केरता
जिला -- सूरजपुर (छ0ग0)
विकास खण्ड वार क्रय अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची
पेराई सत्र 2014—15

गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे0) में		
					पेड़ी	पौधा	कुल योग
कारखाना गेट	प्रतापपुर (जि0—सूरजपुर)	1	सोनगरा	24	92.721	71.595	164.316
		2	शंकरपुर	26	14.021	8.379	22.400
		3	सकलपुर	27	13.923	15.513	29.436
		4	श्यामनगर	27	3.115	1.552	4.667
		5	झिंगादोहर	27	3.857	5.076	8.933
		6	बोझा	22	35.107	40.616	75.723
		7	मायपुर—2	22	9.856	17.584	27.440
		8	सुखदेवपुर	12	24.134	29.134	53.268
		9	चन्दरपुर	12	7.900	25.226	33.126
		10	नवाडीह	23	5.256	19.416	24.672
		11	पेन्डारी	25	0.739	7.779	8.518
		12	पोडीपा	23	2.867	12.490	15.357
		13	सोनपुर	24	10.450	35.837	46.287
		14	मसगा	23	4.764	16.185	20.949
		15	गोटगवां	11	2.688	10.803	13.491
		16	दरहोरा	27	4.783	7.461	12.244
		17	चन्दौरा	22	2.461	4.087	6.548
		18	सेमई	22	15.018	15.861	30.879
		19	करसी	26	24.430	35.980	60.410
		20	टुकूडाड	18	54.603	50.945	105.548
		21	मायपुर—1	20	5.182	10.625	15.807
		22	डुमर खोली	20	0.213	2.737	2.950
		23	सिंघरा	11	43.207	50.494	93.701
		24	चन्द्रेली	26	20.187	34.851	55.038
		25	सेमराकला	25	15.328	26.517	41.845
		26	बैकोना	23	44.487	27.893	72.380
		27	सौतार	22	4.179	10.107	14.286
		28	चांचीडाड़	16	26.575	28.242	54.817
		29	सिलफिली	23	29.889	33.032	62.921
		30	कनकनगर	14	5.307	14.549	19.856
		31	गणेशपुर	11	14.081	22.261	36.342
		32	रामपुर	17	11.174	8.595	19.769

गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे0) में		
					पेड़ी	पौधा	कुल योग
कारखाना गेट	प्रतापपुर (जि0-सुरजपुर)	33	खजुरी	16	5.510	13.134	18.644
		34	कैराडाड़	19	15.518	6.726	22.244
		35	प्रतापपुर	17	3.612	1.384	4.996
		36	केवरा	25	4.316	6.268	10.584
		37	सेंधोपारा	31	7.519	2.082	9.601
		38	दुरती	36	12.696	2.561	15.257
		39	मरहठा	26	0.000	1.623	1.623
		40	चन्द्रमेढा	38	0.000	0.510	0.510
		41	रमगवाँ	20	4.747	11.795	16.542
		42	लोलकी	22	0.000	1.200	1.200
		43	मकनपुर	24	3.478	5.917	9.395
		44	देवरी	25	0.000	2.960	2.960
		45	बुढ़ाडाड़	23	5.906	5.709	11.615
		46	पोड़ी	25	0.058	0.326	0.384
		47	बरौल	17	0.205	0.000	0.205
		48	सिलौटा	25	6.595	15.711	22.306
		49	पहिया	27	0.000	1.660	1.660
		50	खैराडीह	22	3.826	7.538	11.364
		51	खड़गवांकला	7	115.029	168.379	283.408
		52	बगड़ा	22	15.075	48.029	63.104
		53	पल्ढा	22	20.011	36.860	56.871
		54	जगन्नाथपुर	4	5.171	22.659	27.830
		55	कोटेया	20	50.051	37.184	87.235
		56	मानपुर	5	1.260	12.712	13.972
		57	माड़ीडाड़	7	10.150	13.683	23.833
		58	धरमपुर	6	7.449	28.450	35.899
		59	गौरा	15	30.153	48.667	78.820
		60	मदननगर	10	4.715	30.364	35.079
		61	केरता	1	44.989	77.041	122.030
		62	पंपापुर	2	3.010	19.880	22.890
		63	भरदा	15	21.022	41.475	62.497
			कुलयोग		**954.573**	**1373.909**	**2328.482**

क्र	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे0) में		
						पेडी	पौधा	कुल योग
२	कारखाना गेट	राजपुर (जि0–बलरामपुर)	1	खुखरी	22	19.746	29.955	49.701
			2	डकवा	23	3.993	8.719	12.712
			3	खोरडो	21	23.966	44.549	68.515
			4	शिवपुर	19	21.812	13.609	35.421
			5	कुन्दीकला	20	44.937	37.683	82.620
			6	बधिमा	26	2.331	1.389	3.720
			7	अखोराखुर्द	21	82.778	34.147	116.925
			8	सिधमा	22	8.944	35.302	44.246
			9	बदौली	20	117.451	55.103	172.554
			10	मदनेश्वरपुर	33	5.108	18.467	23.575
			11	ककना	29	6.258	13.818	20.076
			12	भेलाई खुर्द	31	4.839	2.357	7.196
			13	चौरा	9	45.664	41.409	87.073
			14	दुप्पी	16	68.277	42.439	110.716
			15	मरकाडाड़	19	78.463	35.345	113.808
			16	नरसिंहपुर	54	85.617	71.129	156.746
			17	जमुनियां	52	0.738	1.676	2.414
			18	चिलमा	53	0.641	4.143	4.784
			19	परसागुड़ी	48	6.192	9.842	16.034
			20	खोखनिया	9	42.396	36.455	78.851
			21	रेवतपुर	15	99.578	78.400	177.978
			22	धंधापुर	20	81.720	111.505	193.225
			23	परसवार	15	20.487	25.674	46.161
			24	मुरका	23	0.350	2.824	3.174
				कुलयोग		**872.286**	**755.939**	**1628.225**

गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे0) में		
					पेडी	पौधा	कुल योग
कारखाना गेट	सूरजपुर (जिला–सूरजपुर)	1	कल्याणपुर	13	135.332	49.718	185.050
		2	अखोराकला	17	57.899	28.711	86.610
		3	पोड़िपा	15	48.974	23.279	72.253
		4	छतरपुर	13	34.577	12.560	47.137
		5	रामेश्वरपुर	10	49.879	15.161	65.040
		6	मोहनपुर	25	21.118	5.778	26.896
		7	हरिपुर	21	63.274	26.644	89.918
		8	मंजिरा	21	65.056	32.548	97.604
		9	सुंदरगंज	21	76.650	28.616	105.266
		10	पाठकपुर	19	41.918	14.533	56.451
		11	नारायणपुर	40	0.664	1.113	1.777
		12	सोनवाही	35	2.771	3.459	6.230
		13	सेमरा सम्बलपुर	35	4.186	2.578	6.764
		14	हीराडबरी	30	2.139	1.478	3.617
		15	महेशपुर	30	3.724	0.994	4.718
		16	कसलगिरी	31	2.070	1.783	3.853
		17	कुरवां	35	0.789	1.443	2.232
		18	अजबनगर	39	0.989	0.894	1.883
		19	रामनगर	55	0.800	0.868	1.668
		20	राई	43	1.423	1.954	3.377
		21	गजाधरपुर	35	1.430	2.128	3.558
		22	अनुजनगर	32	3.674	3.983	7.657
		23	गंगापुर	34	5.258	6.130	11.388
		24	रमेशपुर	41	7.688	5.454	13.142
		25	बृजनगर	24	20.018	21.330	41.348
		26	द्वारिकानगर	30	22.961	18.371	41.332
		27	बिहारपुर	40	14.616	7.355	21.971
		28	नरेशपुर	25	10.132	8.261	18.393
		29	कनकपुर	37	0.251	0.257	0.508
		30	चम्पकनगर	75	2.267	2.434	4.701
		31	परमेश्वरपुर	36	0.682	0.642	1.324

क्र	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे0) में		
						पेडी	पौधा	कुल योग
3	कारखना गेट	सूरजपुर (जिला–सूरजपुर)	32	बतरा	43	1.472	3.954	5.426
			33	महावीरपुर	36	0.861	0.729	1.590
			34	कसकेला	38	2.754	2.129	4.883
			35	कन्दरई	52	0.920	0.850	1.770
			36	लावाडीह	47	0.947	0.768	1.715
			37	करसू	38	0.997	1.312	2.309
			38	करंजी	43	1.750	1.716	3.466
			39	करवां	34	5.420	4.246	9.666
			40	जुड़वानी	37	6.846	5.440	12.286
			41	जगतपुर	39	2.332	2.720	5.052
			42	लटोरी	27	11.723	8.909	20.632
			43	तुलसी	35	39.285	29.877	69.162
				कुल योग		**778.516**	**393.107**	**1171.623**

	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे0) में		
						पेड़ी	पौधा	कुल योग
4	कारखना गेट	अम्बिकापुर (जिला–सरगुजा)	1	घघरी	26	2.083	1.193	3.276
			2	रूखपुर	25	19.471	3.015	22.486
			3	कंचनपुर	30	26.82	6.651	33.471
			4	कुल्हाड़ी	27	2.802	0.727	3.529
			5	बलसेड़ी	25	9.130	6.214	15.344
			6	करम्हा	35	5.742	1.413	7.155
			7	भफौली	30	7.940	1.937	9.877
			8	राकालो	20	4.810	1.405	6.215
			9	परसा	40	2.002	0.421	2.423
			10	किशुननगर	23	2.091	0.280	2.371
			11	खलिबा	30	0.718	0.427	1.145
			12	नर्मदापारा	20	0.789	0.317	1.106
			13	भगवानपुर	40	1.330	0.280	1.610
			14	भकुरा	30	0.236	0.045	0.281
			15	हसुली	39	0.541	0.000	0.541
			16	सरगवां	21	1.639	0.000	1.639
			17	मेन्ड्राखुर्द	35	0.606	0.042	0.648
				कुल योग		**88.75**	**24.367**	**113.117**

क्र	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे0) में		
						पेड़ी	पौधा	कुल योग
5	कारखाना गेट	लुण्ड्रा (जिला–सरगुजा)	1	डुमकी	79	14.343	6.150	20.493
			2	चंगोरी	56	1.405	0.000	1.405
			3	पडौली	38	13.834	8.750	22.584
			4	चन्देश्वरपुर	85	3.109	0.000	3.109
			कुलयोग			32.691	14.900	47.591

क्र	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे0) में		
						पेडी	पौधा	कुल योग
6	कारखाना गेट	लखनपुर (ज़िला–सरगुजा)	1	सिंगिटाना	40	4.077	1.365	5.442
			2	गुमगराकला	59	8.624	1.010	9.634
			3	कंचनपुर	58	2.455	0.422	2.877
			4	जोधपुर	63	1.052	0.000	1.052
			5	पतराटोली	53	0.720	0.000	0.720
			6	सल्का	58	3.469	1.450	4.919
			7	मुकून्दपूर	42	2.38[illegible]	2.115	4.495
			8	कटिन्दा	58	1.050	0.000	1.050
			9	केवरी	48	0.680	0.000	0.680
			10	मांजा	65	0.455	0.000	0.455
			11	गोरता	53	0.680	0.000	0.680
			12	बिनकरा	56	0.525	0.000	0.525
			13	धनौटा	68	0.495	0.000	0.495
			14	अमलभिटी	67	0.357	0.000	0.357
				कुल योग		27.019	6.362	33.381

क्र	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे0) में		
						पेड़ी	पौधा	कुल योग
1	रघुनाथपुर	लुण्ड्रा (जिला–सरगुजा)	1	बुलंगा	53	43.579	29.575	73.154
			2	चलगली	65	9.706	8.471	18.177
			3	डकई	57	1.516	0.447	1.963
			4	सेमरडीह	66	1.412	0.936	2.348
			5	बटवाही	51	51.441	35.259	86.700
			6	दोरना	59	20.732	12.231	32.963
			7	डहौली	61	14.672	11.855	26.527
			8	डड़गांव	58	42.006	24.073	66.079
			9	खालपोड़ी	61	31.473	20.138	51.611
			10	उदारी	58	83.980	31.683	115.663
			11	बकनाकला	62	5.524	1.211	6.735
			12	बदगरी	64	4.000	0.895	4.895
			13	कुन्दीकला	61	1.203	0.000	1.203
			14	महोरा	59	43.671	45.476	89.147
			15	पतराडीह	67	6.872	2.878	9.75
			16	बहेराडीह	61	8.946	0.832	9.778
			17	जरहाडीह	52	58.538	20.614	79.152
			18	झेराडीह	61	6.096	1.099	7.195
			19	ससौली	62	10.128	0.475	10.603
			20	बरगीडीह	60	15.794	3.477	19.271
			21	सिलसिला	55	28.439	5.950	34.389
			22	चोरकीडीह	50	26.456	11.285	37.741
			23	असकला	52	15.175	10.631	25.806
			24	करांकी	60	19.633	3.645	23.278
			25	गंगापुर	50	5.626	7.520	13.146
			26	उंचडीह	61	3.524	2.502	6.026
			27	कोट	50	15.752	21.829	37.581
			28	लमगांव	52	86.904	29.941	116.845
			29	देवरी	67	13.776	2.204	15.98
			30	छेरमुण्डा	80	7.143	0.100	7.243
			31	लुण्ड्रा	65	2.229	0.000	2.229
			32	पुरकेला	50	2.629	3.693	6.322
			33	आमगांव	62	7.307	2.437	9.744

गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे0) में		
					पेड़ी	पौधा	कुल योग
रघुनाथपुर	लुण्ड्रा (जिला–सरगुजा)	34	गढबीरा	60	1.857	0.000	1.857
		35	तुरियाबिरा	57	10.165	10.952	21.117
		36	करेसर	64	2.464	0.000	2.464
		37	राई	49	19.155	7.955	27.11
		38	रघुनाथपुर	43	0.652	0.000	0.652
		39	सिकिलमा	49	4.553	0.786	5.339
		40	ककनी	79	8.947	1.600	10.547
		41	करगीडीह	62	14.731	2.688	17.419
		42	पटोरा	66	20.563	28.973	49.536
		43	किरकिमा	84	6.166	5.217	11.383
		44	चलगली	69	1.636	3.574	5.210
		45	कोयलारी	76	3.981	0.544	4.525
		46	गगोली	74	17.731	0.000	17.731
		47	खुरन्डीह	56	7.959	8.260	16.219
		48	सखोली	79	7.340	5.128	12.468
		49	बतौली	67	1.542	0.260	1.802
		50	जोरी	73	0.000	2.761	2.761
		51	चितरपुर	83	2.445	0.000	2.445
		52	जमीरा	68	2.313	0.621	2.934
		53	बरकोल	74	0.812	0.400	1.212
		54	चिरगा	63	1.248	0.000	1.248
		55	घघरी	77	6.068	8.240	14.308
		56	सहनपुर	87	17.752	4.523	22.275
		57	नवडीहा	69	9.254	3.082	12.336
		58	करौली	69	16.997	6.474	23.471
		59	परसेना	78	50.850	5.623	56.473
		60	कोरन्धा	72	2.382	0.000	2.382
		61	नागम	80	8.299	0.000	8.299
		62	उपरपोड़ी	67	1.005	0.000	1.005
		63	अगासी	70	20.377	0.000	20.377
		कुलयोग			965.126	461.023	1426.149

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम		आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ना क्षेत्रफल (हे.) में		
						पेड़ी	पौधा	योग
2	रघुनाथपुर क्रय केन्द्र	बतौली	1	कुड़केल	74	7.484	9.868	17.352
			2	तेलईधार	93	6.935	10.128	17.063
			3	बिरिमकेला	87	8.301	8.456	16.757
			4	बटईकेला	85	4.138	1.128	5.266
			5	पोकसरी	73	1.971	2.458	4.429
			6	सुवारपारा	67	4.561	4.500	9.061
			7	बासांझाल	78	1.545	2.075	3.62
			8	सल्याडीह	69	5.524	11.311	16.835
			9	महेशपुर	83	5.902	3.060	8.962
			10	बिसुनपुर	77	1.053	3.793	4.846
			11	कपाटबहरी	74	4.844	9.399	14.243
			12	कच्छारडीह	72	5.471	5.493	10.964
			13	जरहाडीह	72	3.946	4.117	8.063
			14	टिरंग	73	0.967	2.82	3.787
			15	मंगारी	70	32.868	25.016	57.884
			16	नयाबांध	85	12.973	14.640	27.613
			17	तरागी–बोदा	80	23.544	32.463	56.007
			18	सेदम	74	2.070	2.974	5.044
			19	सरमना	79	30.359	31.045	61.404
			20	बतौली	60	21.992	14.414	36.406
			21	झरगांव	56	10.912	7.678	18.59
			22	पोपरंगा	63	14.587	7.396	21.983
			23	गहिला	51	14.805	8.034	22.839
			24	सिलमा	68	26.554	15.387	41.941
			25	घोघरा	66	18.673	7.395	26.068
			26	शिवपुर	68	9.235	3.807	13.042
			27	देवरी	67	65.827	51.766	117.593
			28	पथरई	68	15.009	5.398	20.407
			29	बासेन	66	3.394	2.133	5.527
			30	कुनकुरी	62	0.262	0.522	0.784
			31	करदना	74	1.931	0.493	2.424
			32	बेलकोटा	53	3.242	0.511	3.753
			33	बिलासपुर	65	13.371	6.962	20.333
			34	टेड़गा	62	9.245	5.933	15.178
			35	मानपुर	68	9.593	4.302	13.895
				कुल योग		**403.088**	**326.875**	**729.963**

क्र	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ना क्षेत्रफल (हे.) में		
						पेड़ी	पौधा	योग
3	रघुनाथपुर	सीतापुर (जिला–सरगुजा)	1	ढेकीडोली	82	4.476	1.987	6.463
			2	गिरहुलडीह	94	0.411	0.000	0.411
			3	नावापारा	99	0.534	0.405	0.939
			4	चलता	90	1.986	1.362	3.348
			5	उलकिया	91	54.903	24.203	79.106
			6	बेलजोरा	90	5.258	0.000	5.258
			7	बनेया	95	6.081	0.000	6.081
			8	भंवराडाड़	81	2.385	0.000	2.385
			9	देवगढ़	81	7.850	0.000	7.850
			10	परसा	85	4.148	0.000	4.148
			11	केसला	91	1.194	0.000	1.194
			12	पेटला	97	1.730	0.414	2.144
			13	प्रतापगढ़	92	10.939	0.000	10.939
			14	राधापुर	91	10.562	0.000	10.562
			15	गुतुरमा(लिचिरमा)	93	10.015	0.908	10.923
			16	सहनपुर	90	5.447	0.000	5.447
			17	भिठुवा	89	31.701	0.000	31.701
			18	भूसू	90	6.754	0.000	6.754
			19	हर्राटिकरा	90	10.942	1.702	12.644
			20	रजपुरी	95	4.087	0.948	5.035
				कुल योग		**181.403**	**31.929**	**213.332**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम		आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे0) में		
						पेड़ी	पौधा	कुल योग
1	खजुरी (पम्पापुर)	अम्बिकापुर (जिला–सरगुजा)	1	ससकालो	50	2.028	0.520	2.548
			2	पम्पापुर	54	7.787	0.000	7.787
			3	नवानगर	55	21.193	0.767	21.960
			4	छिन्दकालो	44	0.268	0.000	0.268
			5	खजुरी	50	2.470	3.320	5.790
			6	कर्रा(पाटीपारा)	68	4.959	3.442	8.401
				योग		**38.705**	**8.049**	**46.754**
2	खजुरी (पम्पापुर)	बतौली (जिला–सरगुजा)	1	चिरंगा	69	10.21	7.195	17.405
			2	उमापुर	58	2.626	0.515	3.141
			3	मांजा	65	3.353	4.708	8.061
				योग		**16.189**	**12.418**	**28.607**
				कुलयोग		**54.894**	**20.467**	**75.361**

कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/528/2014.—यत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

2. अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद्द्वारा, विलोपित करता हूं.

अनुसूची

क्र. (1)	राजस्व ग्राम का नाम (2)	ग्राम का कुल रकबा (3)	पटवारी हल्का नंबर (4)	ग्राम पंचायत का नाम (5)	तहसील (6)	जिला (7)
1.	बोईरगांव	260.511 हे.	32	मेचका	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/529/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	सोनपुर	386.20 एकड़	26	बांसपानी	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/530/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	देवखुट	1074.00 एकड़	25	बासंपानी	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/531/2014.–यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बनोरा (मा.गु.)	495.52 एकड़	24	बेलरगांव	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/532/2014.–यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बेम (मा.गु.)	464.00 एकड़	24	बेलरगांव	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/533/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बेम (रैयत्)	129.66 एकड़	24	बेलरगांव	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/534/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	कसलोर	156.454 हे.	32	बेलरबाहरा	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/535/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बरपदर	62.002 हे.	32	बेलरबाहरा	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/536/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	ठेमसरा	629.72	31	–	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/537/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01-01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	ठेमली	377.77	31	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/538/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	लमकेनी	255.24	29	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/539/2014.–यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बसंत	436.92	31	–	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/540/2014.–यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	मुडपार	216.84	30	–	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/541/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	कोरलमा	242.69	30	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/542/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	कोकड़ी	350.87	30	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/543/2014.–यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	दरगहन	152.79	29	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/544/2014.–यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बटरेल	238.68	28	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/545/2014.--यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	खेरथा	310.41	28	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/546/2014.--यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	चंवर	690.29	26	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/547/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	चापगांव	448.70	26	–	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/548/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुंसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	तुमाखुर्द	206.72	26	–	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/594/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	घोटियादादर	30.717	उत्तर —कासरवाही दक्षिण — जंगल पूर्व — जंगल पश्चिम — जंगल	17	भण्डारवाड़ी	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./594/2014.— Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 200):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Sev n-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Ghotiyadadar	30.717	North -kaserwahi South-Forest East-Forest West-Forest	17	Bhandarwadi	Magerlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/595/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	बासीखाई	23.797	उत्तर –जंगल दक्षिण – जंगल पूर्व – जंगल पश्चिम – जंगल	17	भण्डारवाड़ी	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./595/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-scction (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Basikhai	23.797	North - Forest South-Forest East-Forest West-Forest	17	Bhandarwadi	Magerlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/596/2014.–यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमांए	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	सिरकट्टा	129.866	उत्तर -जंगल दक्षिण - जंगल पूर्व - जंगल पश्चिम - जंगल	17	भण्डारवाड़ी	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./596/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Sirkatta	129.866	North - Forest South-Forest East-Forest West-Forest	17	Bhandarwadi	Magerlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक / 597 / 2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137 / सात–1 / 2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमांए	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	राउतमुड़ा	83.966	उत्तर –जंगल दक्षिण – जंगल पूर्व – अंजोरा पश्चिम – जंगल	17	मुडकेरा	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./597/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Routmuda	83.966	North - Forest South-Forest East-Anjora West-Forest	17	Mudkera	Magerlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/598/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	केकराखोली	441.480	उत्तर –जंगल दक्षिण – जंगल पूर्व – जंगल पश्चिम – जंगल	17	सोनझरी	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./598/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Kekrakholi	441.480	North - Forest South-Forest East-Forest West-Forest	17	Sonjhari	Magerlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/599/2014.–यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	जामपानी	48.568	उत्तर –कक्ष 135 दक्षिण – केरेगांव पूर्व – कक्ष 132 पश्चिम – कक्ष 134	06	केरेगांव	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./599/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Jampani	48.568	North - Beat 135 South-Keregaon East- Beat 132 West- Beat 134	06	Keregaon	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/600/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमांए	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	बेन्द्रापानी	166.546	उत्तर –कक्ष 131 दक्षिण – केरेगांव बिरगुडी मार्ग पूर्व – कक्ष 131 पश्चिम – कक्ष 132	06	बगरुमनाला	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./600/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have b en provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest R ights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Sch uled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 20 7):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/S en-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue C le, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village h e been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Bendrapani	166.546	North - Beat 131 South-Keregaon birgudi road East- Beat 131 West- Beat 132	06	Bagrumnala	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक / 601 / 2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–4–137 / सात–1 / 2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	चटरीबाहरा	35.216	उत्तर –कक्ष 424 दक्षिण – कक्ष 425 पूर्व – कक्ष 425 पश्चिम – कक्ष 428	09	सरईटोला	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./601/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Chatrribahra	35.216	North - Beat 424 South-Beat 425 East- Beat 425 West- Beat 428	09	Saraitola	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/602/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	बेधवापथरा	262.371	उत्तर –कक्ष 413 दक्षिण – कक्ष 433 पूर्व – के.जी.बी. सड़क केरेगांव से बिरगुडी पश्चिम – हितली आमानाला सलरियानदी	10	गेदरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./602/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Bedhwapathra	262.371	North - Beat 413 South-433 East- KGB road keregaon to birgudi West- Hitli amanala salaria river	10	Gedra	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/603/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम. को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमांए	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	पलारीखार	160.841	उत्तर –आमानाला कुम्हडाकोट दक्षिण – कक्ष 438 पूर्व – कक्ष 445 नेगीनाला पश्चिम – कक्ष 438 आमदी	10	गोविन्दपुर	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./603/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Palarikhar	160.841	North - Amanala kumhdakhot South-Beat 436 East- Beat 445 Neginala West- Beat 438 Aamdi	10	Gowindpur	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/604/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	कुकरी कोन्हा	102.321	उत्तर —कक्ष 441 चिवरी मा. दक्षिण — कक्ष 441 लिटीपारा पूर्व — कक्ष 441 पश्चिम — सलरिया नाला	11	चिंवरी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./604/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Kukarikonha	102.321	North - Beat 441 Chiwarri m. South-Beat 441 Litipara East- Beat 441 West- Salaria nala	11	Chiwarri	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/605/2014.–यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमांए	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	सारंगपुरी	172.038	उत्तर –कक्ष 434 दक्षिण – 436 पूर्व – कक्ष 437 पश्चिम – कक्ष 435	11	करैहा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./605/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Sarangpuri	172.038	North - Beat 434 South-Beat 436 East- Beat 437 West- Beat 435	11	Karaiha	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/606/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	केरामुड़ा	105.632	उत्तर –कक्ष 421 दक्षिण – कोलियारी कक्ष 423 पूर्व – कौहाबहरा कक्ष 421, 422 पश्चिम – कक्ष 424	13	दुगली	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./606/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have be provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Ri its Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Sched ed Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 200 :

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Sev. -1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Cod , 1959 (No. 20 of 1959), the power of sett' nent Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Keramuda	105.632	North - Beat 421 South-Koliyari Beat 423 East- Kouha-bahra Beat 421, 422 West- Beat 424	13	Dugli	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/607/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमांए	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	खरखाभर्री	133.538	उत्तर –राजस्व सरईटोला दक्षिण – बटनहर्रा पूर्व – कक्ष 276 पश्चिम – आमानाला गोविन्दपुर	10	सरईटोला	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./607/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Kharkhabharri	133.538	North - Revenu Saraitola South-Batanharra East- Beat 276 West- Amanala, Govindpur	10	Saraitola	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/608/2014.–यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात--1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमांए	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	भाटखार	30.000	उत्तर –कक्ष 466 दक्षिण – राजस्व पंडरी पानी पूर्व – कक्ष 467 पश्चिम – कक्ष 466	22	सेमरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./608/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Bhatkhar	30.000	North - Beat 466 South-Revenue Pandripani East- Beat 467 West- Beat 466	22	Semra	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/609/2014.–यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	गेंदाभर्री	44.620	उत्तर –पोडीडीह दक्षिण – कक्ष 209 पूर्व – कक्ष 208 पश्चिम – कक्ष 356	31	मौहाबहरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./609/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Gaindabharri	44.620	North - Podidih South-Beat 209 East- Beat 208 West- Beat 356	31	Mauhabahra	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/610/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	सिंघोलापारा	12.198	उत्तर –ग्राम कुकरेल दक्षिण – कक्ष 158 पूर्व – कक्ष 158 पश्चिम – ग्राम कुकरेल	03	कुकरेल	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./610/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Singholapara	12.198	North - Village Kukrel South-Beat 158 East- Beat 158 West- Village Kukrel	03	Kukrel	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/611/2014.–यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	लट्टीडेरा	12.466	उत्तर –नाला, सिरौदकला दक्षिण – बनबगौद, बाजार कुर्रीडीह मार्ग पूर्व – नाला एवं बाजार कुर्रीडीह पश्चिम – बनबगौद	02	कांटाकुर्रीडीह	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./611/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Lattidera	12.466	North - Nala Siraudkala South- Banbagoud, Bazarkurridih Root East- Nala Bazarkurridih West- Banbagoud	02	Kantakurridih	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/612/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधो बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	चंदनपुर	35.620	उत्तर -कक्ष 110 दक्षिण - कक्ष 109 पूर्व - कक्ष 110 पश्चिम - कक्ष 123, 127	06	डोकाल	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./612/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Chandanpur	35.620	North - Beat 110 South-Beat 109 East- Beat 110 West- Beat 123, 127	06	Dokal	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/613/2014.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	धौराभाठा	15.660	उत्तर –भैसामुड़ा दक्षिण – चंदनबहरा पूर्व – सोढूर नदी पश्चिम – तुमबहरा, खुदुरपानी	18	भैसामुड़ा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./613/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Dhaurabhatha	15.660	North - Bhaisamuda South-Chandan-bahra East- Sondur river West- Tumbahra, Khudurpani	18	Bhaisamuda	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/614/2014.–यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन ग्राम सीमांए	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	सेलबाहरा	56.684	उत्तर –कक्ष 430 दक्षिण – कक्ष 429 पूर्व – बांध पश्चिम – कक्ष 429	10	गेदरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./614/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Selbahara	56.684	North - Beat 430 South-Beat 429 East- Dam West- Beat 429	10	Gedra	Nagari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/615/2014.–यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन 2007) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी (जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :–

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर) में	वन-ग्राम सीमांए	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	बोईरगांव	38.470	उत्तर –कक्ष 177 दक्षिण – कक्ष 172 पूर्व – कक्ष 179 पश्चिम – कक्ष 174	32	मेचका	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 20th October 2014

No./615/2014.– Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement Officers relating to constitution of Revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the power conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is , hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Boirgoan	38.470	North - Beat 177 South-Beat 172 East- Beat 179 West- Beat 174	32	Mechaka	Nagari	Dhamtari

भीम सिंह,
कलेक्टर.